प्रस्तुति दिनांक 11/2013

न्यायालय माननीय म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 कैंप इन्दौर

R-4017/III/13

अशोक पिता अम्बाराम जी ब्रहमण निवासी
ग्राम गुणावद तेह0 व जि0 धार ----- निगरानीकर्ता

आज दि. 11-11-13 को
स्तुत
11-11-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- ईश्वरदास पिता सुरतसिह जाट,
निवासी-ग्राम घटोदा तह. सरदारपुर जिला धार

2- माधवसिंह पिता केशरसिंह जाट,
निवासी- गुणावद तह.व जिला धार म0प्र0

----- रेसपाण्डेंटगण

11-11-13

निगरानी अर्ज धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 अनुसार

"यह निगरानी अर्ज विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील धार जिला धार के राजस्व प्रकरण क्र. 61/अ-6/2011-12 ईश्वरदास बनाम मादु एवं आपत्तिकर्ता अशोक में पारित आदेश दिनांक 07.09.2013 से असंतुष्ट होकर पेश की गई हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4017–दो/13 [अशोक/ईश्वर] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–9–13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसाना नामांतरण हो चुका है, और उस समय आवेदक की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि आवेदक को वारिसाना नामांतरण के समय ही आपत्ति दर्ज कराना थी । एक बार नामांतरण हो जाने के बाद पुनः तहसील न्यायालय को नामांतरण करने का अधिकार नहीं है । तहसीलदार द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्व का नामांतरण आदेश अस्तित्व में रहते नये सिरे से नामांतरण नहीं किया जा सकता है । यदि तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व में किए गए नामांतरण से आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व प्रभावित हुआ है, तब उसे उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना चाहिए । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	